राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ....140/2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स जी.वी.आर.इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक हंसारिया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 2,42,04,259/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी को कार्य संविदा दिनांक 05.11.2013 को अवार्ड हुई। अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा विलम्ब शुल्क सहित कर विमुक्ति प्रमाण पत्र के लिये दिनांक 16.10.2014 को आवेदन किया गया। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई.सी. दिनांक 14.07.2014 के पश्चात जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 14.07.2014 से पूर्व की कार्य संविदा के लिये बाद के प्रावधानों के अन्तर्गत ईसी प्रमाण जारी किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रू0 2,42,04,259/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्य संविदा दिनांक 05.11.2013 को अवार्ड हुई। अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा विलम्ब शुल्क सहित कर विमुक्ति प्रमाण पत्र के लिये दिनांक 16.10.2014 को आवेदन किया गया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 05.11.2013 की कार्य संविदा के लिये अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 के प्रावधानों की बजाय अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया गया है। प्रथम दृष्टया राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2014–23 दि. 14.7.14 के क्लाज 6 के प्रावधानों के मध्यनजर अपीलीय आदेश उचित प्रतीत होता है। अतः अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **दो माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील की सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदन लाल)** **सदस्य** **(खेमराज)** **अध्यक्ष**	